

# प्रधान महालेखाकार (ले व ह) केरल का कार्यालय, तिरुवनन्तपुरम-695 001 OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E) KERALA, THIRUVANANTHAPURAM-695 001 Date 08.04

19/IV/DRSSA-92/ (220, 122)

To,

All District/Sub Treasury Officer/Banks

Sir,

Sub: Grant of enhanced rate of Dearness Relief @ 46 % w.e.f. 01.07.2023 in respect of pensioners/ family pensioners of Government of Uttar Pradesh – reg.

Ref: 1. SSA No. Pension Misc./DRY No. 50191 dated 14.12.2023 received from the Office of the Accountant General (A&E)-II, Uttar Pradesh, Prayagraj.

 O.M. No.-25/2023/1/424662/2023/File No.-10-22099/1401/2020 dated 08.11.2023 of Government of Uttar Pradesh, Finance (General) Section-3.

I am to enclose herewith the copy Special Seal Authorization received from the Office of the Accountant General (A&E)-II, Uttar Pradesh, regarding grant of enhanced rate of Dearness Relief @ 46 % w.e.f. 01.07.2023 in respect of pensioners/ family pensioners of Government of Uttar Pradesh. The same is being placed in the official website of this office, <a href="https://www.cag.gov.in/ae/kerala/en">www.cag.gov.in/ae/kerala/en</a>, under pension – download under the link "Treasury Endorsement of Orders for other state Pensioners". A copy of this letter may be exhibited on the notice board of the treasuries.

Yours faithfully

Sr. Accounts Officer

#### Copy to: -

- The Director of Treasuries
   Thiruvananthapuram
- Sr. Accounts Officer
   The O/o the Prl. Accountant General (A&E)-II
   20 Sarojini Naidu Marg,
   Uttar Pradesh, Prayagraj

-For information.

Sr. Accounts Officer

TRUSA (II)

P19/04/ DR884/98 22 1849 29/12/ 2023:

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (ले0 एवं हक0)-द्वितीय 20 सरोजनी नायडू मार्ग उ०प्र०, प्रयागराज Phones: Off. 2622625-26 Fax; 0532-2624402 पत्रांक- पेशन विविध् / DRY, No. 27

पत्रांक- पेशन विविध/DRY No.- 50191 दिनांक :- 14/12/2023

सेवा में,

M.G. Road, Thirdramanthaperson-695039

विषय :- राज्य सरकार के सिविल / पारिवारिक पेंशनरों आदि को मंहगाई राहत की स्वीकृति। शासनादेश :- 25/2023/आई/424662/2023/फा0नं0-10-22099/1401/2020 लखनऊ, दिनांक — 08/11/2023

महोदय,

उत्तर प्रदेश वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 विभाग द्वारा जारी उपरोक्त आदेश की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अत: आपसे अनुरोध है कि उक्त आदेश अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत समस्त कोषाधिकारियों / पेंशन. भुगतान अधिकारियों को प्रसारित कर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें तथा एक प्रति इस कार्यालय को भी प्रेषित करने की कृपा करें। संलग्नक :- यथोपरि।

भवदीय

वरि0 लेखाधिकारी / पेंशन विविध

## उत्तर प्रदेश शासन वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

संख्या-25/2023/आई/424662/2023/फा0नं0-10-22099/1401/2020

लखनऊ: दिनांक 08 नवम्बर, 2023

### कार्यालय-ज्ञाप

विषय: राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को महाँगाई राहत की स्वीकृति।

राज्य सरकार के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को महँगाई राहत के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-10/2023/आई/319051/2023/फा0नं0-10-22099/1401/2020 दिनांक 19 मई, 2023 द्वारा दिनांक 01 जनवरी, 2023 से महँगाई राहत की दर 38 प्रतिशत से यहा कर 42 प्रतिशत की गयी थी।

- 2- अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश बेतन समिति 2016 की संस्तृतियों के अधीन निर्मत शासनादेशों के प्रावधानों के अनुसार संशोधित/स्वीकृत पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर श्री राज्यपाल द्वारा दिनोंक 01 जुलाई, 2023 से महँगाई राहत की 04 प्रतिशत की एक और किश्त दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गयी है।
- 3- पेंशनरों को अनुमन्य महँगाई राहत में उपर्युक्त बढोत्तरी के फलस्वरूप पेंशन पर अनुमन्य महँगाई राहत की दर 42 प्रतिशत से बढ़कर दिनोंक 01 जुलाई, 2023 से 46 प्रतिशत हो जायेगी।
- 4- महँगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रूपये के आधे से कम आगणित होगी, उसे नजरअंदाज कर दिया जायेगा, जबकि आधे से अधिक को पूर्ण रूपये के रूप में लिया जायेगा।
- 5- यह आदेश उच्च त्यायालय के त्यायाधीशों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे, उनके संबंध में संबंधित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा। अखिल भारतीय सेवाओं के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के संबंध में आदेश पृथक से निर्गत किये जा रहे हैं।
- 6- यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्ता शिक्षण संस्थाओं के ऐसे पेंशनरों, जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे।
- 7- शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-ए-1-252/दस-10(3)-81, दिनॉक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिए महालेखाकार के प्राधिकार-पत्र की आवश्यकता नहीं हैं। अत: पेंशन भुगतान अधिकारियों द्वारा इस कार्यालय-ज्ञाप के आधार पर ही उपरोक्तानुसार अनुमन्य महँगाई राहत का भुगतान कर दिया जायेगा।
- महँगाई राहत स्वीकृत करने के संबंध में अन्य शर्ते एवं प्रतिबन्ध जो इससे संबंधित पूर्व शासनादेशों में निर्धारित है, पूर्ववत् लागू रहेंगे।

नील रतन कुमार विशेष सचिव, वित्त

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्लाक्षर की आवश्यकता नहीं है।

<sup>2-</sup> इस शासनादेश की प्रमाणिकता नेव साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

# सेवा में,

- (1) उत्तर प्रदेश शासन के समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव, विभागाध्यक्ष कार्यालयाध्यक्ष, कोषाधिकारीगण।
- (2) महलेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-1 व 2 एवं ऑडिट-1 व 2, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- (3) महालेखाकार कार्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- (4) समस्त राज्यों के महालेखाकार।

नील रतन कुमार विशेष सचिव, वित्ता

<sup>1-</sup> यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

<sup>2-</sup> इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

#### Government of Uttar Pradesh Finance (General) Section-3 order No.-25/2023/I/424662/2023/File No-10-22099/1401/2020 Dated: Lucknow: 08 November, 2023 Office – Memorandum

Subject: Grant of dearness relief to State Government's civil/family pensioners .

Vide government order No.-10/2023/I/319051/2023/File No-10-22099/1401/2020 Dated 19 May, 2023 the dearness relief admissible to pensioners/ family pensioners of the state was increased from 38 percent to 42 percent w.e.f. January 01, 2023.

- 2- The undersigned is directed to say that the Governor is pleased to grant one more installment of dearness relief of 04 percent w.e.f. July 01, 2023 on the pension/family pension revised/ determined under the provisions of the government orders issued under the recommendations of Uttar Pradesh pay Committee 2016.
- 3- As a consequence of the above-mentioned 04 percent rise, the dearness relief payable on the pension/family pension will rise from existing 42 percent to 46 percent with effect from July 01, 2023.
- 4- In the calculation of dearness relief, fraction of a rupee less than its half shall be ignored while half or more shall be counted as one rupee.
- 5- These orders will not be applicable to the Judges of High Court, employees of local bodies and public undertakings /corporations etc in respect of whom separate orders will be issued by respective departments. Orders in respect of All India Service pensioners/family pensioners are being issued.
- 6- These orders will also be applicable to the pensioners of the institutions aided from State Fund, under the Education/ Technical Education Departments, whose pension/family pension is at par with that of the pensioners of the State Government.
- 7- As per orders issued in O.M. No. A-1-252/X-10(3)-81 dated April 27, 1982 the Accountant General's authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment of dearness relief shall be made by the concerned pension disbursing authorities on the basis of this office memorandum alone.
- 8- Other terms and conditions regarding grant of deamess relief laid down in earlier Government orders shall remain applicable as before.

Neel Ratan Kumar Special Secretary, Finance.

मह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताधर की आवश्यकता नहीं है।

<sup>2-</sup> इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।